



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 395/2026

श्रीमती दुर्गा देवी एवं 2 अन्य

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : - अवधेश कुमार पाण्डेय

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थीगण द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र थाना- धानेपुर, जिला - गोंडा में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 30/2006 में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. कुछ समय तक बहस करने के पश्चात, प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर बल देना नहीं चाहते हैं और अपनी प्रार्थना को केवल इस प्रार्थना तक सीमित रखते हैं कि प्रार्थीगण को संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा समुचित निर्देश जारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए जाएं कि उसका निस्तारण विधि के अनुसार शीघ्रता से किया जाए।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों पर विचार करने और अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। इस स्तर पर, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआइआर 1960 एससी 866; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रि.) 426; बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रि.) 192; इंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) , 2005 एससीसी (क्रि.) 283 तथा परबतभाई अहीर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, एआइआर 2017 एससी 4843 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में मामले को केवल प्रथम दृष्टया ही देखा जाना है।

6. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अमरावती व एक अन्य बनाम उ.प्र. राज्य, 2004 (57) एएलआर 290 में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 2009 (3) एडीजे 322 (एससी) में एवं हुसैन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, मनु/ एससी /0274/2017 में जमानत याचिकाओं के त्वरित निस्तारण के लिए आपराधिक न्यायालयों को विभिन्न निर्देश दिए हैं। उपरोक्त निर्णयों का आधार बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की पृष्ठभूमि में चूंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है, इसलिए जमानत याचिका का निस्तारण शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्व प्रेरणा रिट (आपराधिक) सं. 1/2017 (सन्दर्भ: आपराधिक विचारणों में अपर्याप्तताओं एवं कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिये बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य' में अपने निर्णय एवं आदेश

दिनांक 20.04.2021 के द्वारा आपराधिक मामलों की कार्यवाही में होने वाली सामान्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कमियों पर गौर किया है और "द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2021" को स्वीकृति दी है, जो उक्त नियमों के अध्याय V नियम 17 का भाग है कि गैर-जमानती मामलों में जमानत प्रार्थनापत्र को सामान्यतः पहली सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। यदि प्रार्थनापत्र का निस्तारण उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही इसका कारण प्रस्तुत करेंगे।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सतिंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व अन्य (विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं. 5191/2021) में संबंधित न्यायालयों के विवेक और जमानत देने पर विचार को शासित करने वाले वैधानिक प्रावधानों को सीमित किए बिना जमानत देने के लिए दिशानिर्देश पहले ही निर्धारित कर दिए हैं, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रत्याशित है कि संबंधित न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके अनिवार्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगा।

7. उपरोक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता के दृष्टिगत तथा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करते हुए, इस याचिका को अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण आज से 30 दिनों की अवधि में अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

8. आज से 30 दिनों की अवधि के लिए या जब तक आवेदक जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो भी पहले हो, प्रार्थीगण को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

गौरव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।